मिसिल संख्या 3 (2)/2022-स्थापना भारत सरकार Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन, Krishi Vistar Bhawan पूसा Pusa, नई दिल्ली – 110012

दिनांक 14 फरवरी 2022

Vacancy Circular

Subject:-Filling up of One (01) vacancy of Assistant Accounts Officer in the Level 7 (Rs. 44900-142400), in the Directorate of Extension by composite method [deputation (including Short Term Contract) plus promotion]—regarding.

The undersigned is directed to say that One (01) vacancy of **Assistant Accounts Officer in** the Level 7 (Rs.44900-142400), (Group 'B') (Gazetted) (Ministerial) in the Directorate of Extension, Ministry of Agriculture & Farmers Welfare, Department of Agriculture & Farmers Welfare, New Delhi, is required to be filled up by composite method [deputation (including Short Term Contract) plus promotion].

Composite method [deputation (including Short Term Contract) plus promotion].

Deputation Plus Promotion:

Officers under the Central or State Government or Union Territories or Universities or recognized Research Institutions or Public Sector Undertakings or Autonomous or Statutory Organizations or Local Bodies-

- (a) (i) Holding analogous posts on regular basis in the parent Cadre or Department; or
 - (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 (Rs. 35,400-1,12,400) or equivalent in the parent Cadre or Department; and
- (b) Possessing the following qualifications and experience.
 - (i) Successful completion of training in Cash and Accounts work in the Institute of Secretariat Training and Management or equivalent;
 - (ii) Three years' experience in Cash, Accounts and Budget Work.
- Note 1: The Departmental Junior Accountant in level -5 (Rs. 29,200-92,300) with eleven years of regular service in the grade will also be considered along with outsiders and in case he or she is selected for appointment to the post, it shall be deemed to have been filled by promotion.
- **Note 2:** The departmental officer in the feeder grade who is in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
- **Note 3:** Period of deputation (Including Short term Contract) including period of deputation (Including Short Term Contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. The maximum agelimit for appointment on deputation (Including Short Term Contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Shanumilti

..contd.../-

Note 4: For the purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an office prior to 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised grade pay with a common level in pay matrix, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that level of pay matrix is the normal replacement level without any up-gradation.

The selected officer will have the option either to draw his grade pay plus deputation (duty) allowance in accordance with the Ministry of Finance instructions issued from time to time or gets his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the normal duties.

It is requested that the vacancy may kindly be accorded due publicity and the applications, with details of service particulars in the enclosed pro-forma as per Annexure, from suitable and willing Officials, along with duly attested photocopies of ACRs/APARs for the last 5 years, may kindly be forwarded to the undersigned, by name within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/Rozgar Samachar.

While forwarding the applications, it may also please be verified and certified that the particulars furnished by the applicant are correct and that no vigilance proceedings are pending or being contemplated against the officer. The integrity of the Officials may also be certified. It may also please be made clear that in the event of selection, the candidate will not be allowed to withdraw his/her candidature and will be relieved immediately. Incomplete applications or application received without up-to-date ACRs/APARs dossier will not be considered.

(S. Banumathi)

Shanunth

Deputy Director (Accounts)

Distribution:

- 1. All Ministries/Department of Government of India.
- 2. All Attached/Subordinate Offices of the Department of Agriculture & Farmers Welfare.
- 3. Chief Controller of Accounts, Deptt of Agriculture & Farmers Welfare, 16A, Akbar Road, Hutment, New Delhi.
- 4. Controller General of Accounts, Deptt. of Expenditure, Lok Nayak Bhawan, New Delhi-1100571
- 5. Notice Board, DOE., Pusa, New Delhi
- 6. DG, Directorate of Resettlement, West Block- IV, R K Puram, New Delhi 110066
- 7. Comptroller and Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi-101247.
- 8. Nodal Officer, DOE for uploading on DAC/DOE website
- 9. Guard file.

मिसिल संख्या 3 (2)/2022-स्थापना भारत सरकार Government of India

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय Ministry of Agriculture & Farmers Welfare कृषि एवं किसान कल्याण विभाग Department of Agriculture & Farmers Welfare विस्तार निदेशालय Directorate of Extension

कृषि विस्तार भवन, Krishi Vistar Bhawan पूसा Pusa, नई दिल्ली – 110012

दिनांक / ५ फरवरी, 2022

रिक्ति परिपत्र

विषय:—विस्तार निदेशालय में स्तर—7 में (रू. 44900—142400) में सहायक लेखा अधिकारी के एक पद को मिश्रित पद्वति (प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति) से भरे जाने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, नई दिल्ली में सहायक लेखा अधिकारी का एक पद स्तर—7 में (रू.44900—142400) में मिश्रित पद्वति (प्रतिनियुक्ति और पदोन्नति) द्वारा भरा जाना है।

प्रतिनियुक्तिः

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंघान संस्थानों या पब्लिक सेक्टर उपकमों या कानूनी संगठनों या स्थानीय निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

- (क) (i) जो मूल काडर या विमाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हो; या
 - (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैटिक्स के स्तर-6 में 3,5000-1,12,400 रूपये में नियुक्ति के पश्चात् नियभित आधार पर उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की है, और
- (ख) निम्नलिखित अर्हताएं तथा अनुमव रखते हैं;
 - (i) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य सफलतापूर्वक पूरा किया है।
 - (ii) रोकड़, लेखा तथा बजट कार्य में तीन वर्ष का अनुभव रखता हो।

टिप्पण 1: वेतन मैदिक्स के स्तर—5 (29,200—92,300 रूपये) में ऐसे विभागीय किनष्ट लेखाकार जिन्होंने नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में नियमित ग्यारह वर्ष के सेवा की है पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ—साथ विचार किया जाएगा और यदि उसका पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो वह पद प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा समझा जाएगा।

टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्निति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने हेतु पात्र नहीं होगें। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होगें।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउर बाह्य पद प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2016 से पूर्व या जब से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू हुई है या जब से आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतनमान लागू हुए हैं सिवाय उन पूर्ण संशोधित वेतनमानों को छोड़कर जिनका सामान्य वेतन मैदिक्स में स्तर एक ही ग्रेंड वेतन में विलय हुआ है और यह लाम सिर्फ उन पद या पदों पर लागू होगा जिनके वेतन मैदिक्स मेंस्तर बिना किसी उन्नयन के सामान्य स्तर प्रतिस्थापन हुआ है, उस तिथि से की गई नियमित सेवा को ही तद्नुसार वेतन स्तर में की गई सेवा माना जाएगा।

एस. भाउमति

चयनित अधिकारी के पास यह विकल्प होगा कि यह तो वह वित्त मंत्रालय द्वारा समय—समय पर जारी अनुदेशों अनुसरण में अपने ग्रेड के साथ—साथ प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) मत्ता आहरित करें अथवा सामान्य नियमों के तहत पद संबंध वेतनमान में वेतन नियत करवाए।

अनुरोध है कि रिक्ति का सम्यक प्रचार किया जाए और उपयुक्त एवं इच्छुक कर्मियों के आवेदन पत्र सं प्रोफार्मामें उनकी सेवा के विस्तृत ब्यौरे तथा पिछली 5 वर्षों की विधिवत सत्यापित गोपनीय रिर्पोट की फोटो प्रतियों साथ रोजगार समाचार में इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के 60 दिनों के भीतर अद्योहस्ताक्षरी के नाम भेजें।

आवेदन पत्र अग्रेषित करते समय यह सत्यापित एवं प्रमाणित किया जाए कि अम्यर्थी द्वारा दिया गया विव सत्य है और कार्मिक के विरुद्ध सतर्कता से संबंधित न तो कोई मामला लंबित है और न ही विचाराधीन है। कार्मिक सत्यिनिष्ठा भी प्रमाणित की जाएं। यह भी स्पष्ट किया जाए कि नियुक्ति होने की स्थिति में अभ्यर्थी को अ उम्मीदवारी वापस लेने की अनुमित नहीं होगी और उन्हें तत्काल कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अपूर्ण आवेदनों : विना गोपनीय रिपोर्ट के प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं जाएगा।

िसं भार

(एस. मानुम् उप निदेशक (ले

वितरण:-

- 1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय।
- कृषि एवं किसान कल्याण विमाग के सभी संबंध / अधीनस्थ कार्यालय।
- 3. मुख्य लेखा नियंत्रक, कृषि एवं किसान कल्याण विमाग, 16 ए, अकबर रोड हटमेंट्स, नई दिल्ली।
- 4. महालेखा नियंत्रक, राजस्व विभाग, लोक नायक भवन, नई दिल्ली 110057
- 5. महानिदेशक, पुर्नवास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय, वेस्ट ब्लाक-4, आर. के. पुरम, नई दिल्ली 110066
- 6. भारत सरकार के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली 110047
- 7. सूचना पट्ट, विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली।
- 8. नोडल अधिकारी, विस्तार निदेशालय को डीएसी व डीओई की बेवसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- 9. गार्ड फाईल